



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature.....*Sanjay Kumar Gupta*

ACC Name-Sanjay Kumar Gupta

Code-UP14441904

ACC Address-Miyapur, Jaunpur

Mobile No.-9807566194 Licence No.-393

Collectorate Compound-Sadar,Jaunpur (U.P.)

Certificate No.

IN-UP57894807866884T

Certificate Issued Date

06-Dec-2021 12:25 PM

Account Reference

NEWIMPACC (SV)/ up14441904/ JAUNPUR SADAR/ UP-JNP

Unique Doc. Reference

SUBIN-UPUP1444190405886327159383T

Purchased by

BY CHIEF TRUSTEE ARUN KUMAR DUBEY

Description of Document

Article 64 (A) Trust - Declaration of

Property Description

NA

Consideration Price (Rs.)

PT. HARAKHMANI DUBEY M CH TRUST RAJAPUR MUNSHIMEHDI

First Party

NA

Second Party

PT. HARAKHMANI DUBEY M CH TRUST RAJAPUR MUNSHIMEHDI

Stamp Duty Paid By

1,500

Stamp Duty Amount(Rs.)

(One Thousand Five Hundred only)



द्रस्ट का नाम : पंडित हरखमनि दूबे मेमोरियल चरिटेबुल द्रस्ट
(Pt. H.D.M. CH. Trust)

पता : ग्राम-राजापुर (मुंशी मेंहदी), पोस्ट-मङ्डियाहूँ
 तहसील-मङ्डियाहूँ, जिला-जौनपुर (उ0प्र0)

पंजीकरण स्थल : कार्यालय- उप निबन्धक,
 तहसील-मङ्डियाहूँ, जिला जौनपुर (उ0प्र0)

सम्पूर्ण स्टैम्प : ₹0 1500.00

QT 0002027832


Signature Area

The genuineness of this stamp certificate can be verified at www.sharestamp.com or using e-Stamp mobile App of eStamp Holdings.
 The digital signature on this certificate and its availability on the website / Mobile App renders it invalid.

The user certifying the legitimacy is on the user of the certificate.

In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





ट्रस्ट स्थापना हेतु धनराशि : रु0 10,000/- (दस हजार रुपया मात्र)
 प्रस्तुतकर्ता का नाम : अरुण कुमार दूबे पुत्र स्व0 हरखमनि दूबे
 आधार संख्या— 2847 8609 3739
 मोबाइल नंबर— 9621 420011

दस्तावेज (ट्रस्ट / न्यास)

- (1) मैं अरुण कुमार दूबे पुत्र स्व0 हरखमनि दूबे पता— ग्राम—राजापुर नं0-2 पोस्ट—मडियाहूँ तहसील—मडियाहूँ जनपद जौनपुर, (उ0प्र0) का निवासी हूँ। मैं पंडित हरखमनि दूबे मेमोरियल चैरिटेबुल ट्रस्ट (Pt. H.D.M. CH. Trust) पता— ग्राम—राजापुर (मुंशी मेहदी), पोस्ट—मडियाहूँ तहसील—मडियाहूँ जनपद—जौनपुर, उ0प्र0 के नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ।
- (2) ट्रस्ट (न्यास) की विधिक प्रतिबद्धता :—
 पंडित हरखमनि दूबे मेमोरियल चैरिटेबुल ट्रस्ट, इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत गठित किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 वे समस्त नियम/उपनियम लागू होंगे जो कि इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। उपरोक्त ट्रस्ट उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है :

U/-



(3) द्रस्ट (न्यास) का नाम :

पंडित हरखमनि दूबे मेमोरियल चैरिटेबुल द्रस्ट (Pt. H.D.M. CH. Trust)

(4) द्रस्ट (न्यास) का स्थायी पता:

ग्राम— राजापुर (मुशी मेहदी), पोर्ट—मडियाहूँ, तहसील—मडियाहूँ
जनपद—जौनपुर (उ०प्र०)

(5) द्रस्ट (न्यास) का कार्य क्षेत्र:

सम्पूर्ण भारत।

(6) द्रस्ट निर्माता (न्यासकर्ता) :

अरुण कुमार दूबे पुत्र स्व० हरखमनि दूबे पता— ग्राम—राजापुर न०-२,
पोर्ट—मडियाहूँ, तहसील—मडियाहूँ, जनपद—जौनपुर (उ०प्र०)।

(7) न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम : श्री कमलाकांत दूबे उर्फ मंगला प्रसाद
दूबे, श्री अनुज कुमार दूबे, श्री आकाश दूबे, श्रीमती संगीता देवी।

(8) न्यासधारी (द्रस्टी) :

अरुण कुमार दूबे पता— ग्राम—राजापुर न०-२, पोर्ट—मडियाहूँ, तहसील—मडियाहूँ
जनपद—जौनपुर (उ०प्र०)

(9) उपरोक्त द्रस्ट में नामित व्यक्ति जो द्रस्टी बनाये गये:

क्र० सं०	नाम द्रस्टी	पिता/पति का नाम	पद	व्यवसाय	पता
1.	श्री कमलाकांत दूबे उर्फ मंगला प्रसाद दूबे	स्व० हरखमनि दूबे	अध्यक्ष	कृषि-	ग्राम—राजापुर (मुशी मेहदी) पोर्ट—मडियाहूँ, तहसील—मडियाहूँ, जनपद—जौनपुर।
2.	श्री अनुज कुमार दूबे	श्री सर्वेश कुमार दूबे	उपाध्यक्ष	शिक्षक	ग्राम—राजापुर (मुशी मेहदी) पोर्ट—मडियाहूँ, तहसील—मडियाहूँ, जनपद—जौनपुर।
3.	श्री अरुण कुमार दूबे	स्व० हरखमनि दूबे	मुख्यद्रस्टी /सचिव	समाजरोगा /व्यापार	ग्राम—राजापुर न०-२ पोर्ट—मडियाहूँ, तहसील—मडियाहूँ, जनपद—जौनपुर।
4.	श्री आकाश दूबे	श्री अरुण कुमार दूबे	उपसचिव	शिक्षारत्	ग्राम—राजापुर (मुशी मेहदी) पोर्ट—मडियाहूँ, तहसील—मडियाहूँ, जनपद—जौनपुर।
5.	श्रीमती संगीता देवी	श्री अरुण कुमार दूबे	कोषाध्यक्ष	व्यापार	ग्राम—राजापुर (मुशी मेहदी) पोर्ट—मडियाहूँ, तहसील—मडियाहूँ, जनपद—जौनपुर।

मेरी



(10) द्रस्ट का स्वरूप:

यह द्रस्ट एक स्थैरिक संगठन है जो जाति, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय व राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में "सर्व सुखाय, सर्व हिताय" का कार्य करेगा।

(11) लाभग्राही:

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगों को बिना किसी भेद-भाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह द्रस्ट काम करेगी और सभी को समान लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी तथा मानव विकास में सहायक प्राणी व वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।

(12) हितग्राही व्यक्ति :

द्रस्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि द्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

(13) द्रस्ट के उद्देश्य :

इस द्रस्ट/न्यास के लक्ष्य/उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।

1. वालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए एल.के.जी. स्तर से 5वीं कक्षा, जूँहाईर्स्कूल, हाईर्स्कूल, इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, पोर्ट ग्रेजुएट कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, आई.टी.आई., पालिटेक्निक, बी.टेक, एम.टेक, बी.सी.ए., बी.बी.ए., एम.सी.ए., एम.बी.ए. विधि महाविद्यालय (लॉ कालेज), विधि स्नातक (एल-एल.बी.), विधि परास्नातक (एल-एल.एम.) स्तर तक रोजगार परक प्रौद्योगिकी विद्यालय की स्थापना तथा ए.एन.एम., जी.एन.एम. का प्रशिक्षण तथा उसे संचालित करना।
2. दिल्ली बोर्ड (सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. पैटर्न, यू.पी. बोर्ड हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम, तथा संस्कृत शिक्षा परिषद एवं उर्दू शिक्षा की नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना तथा प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक विद्यालयों का संचालन करना।
3. सदाचार तथा अध्यात्मिक विकास के लिए निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

मेरे

4. रामूहिक विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह पद्धति एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, संरथाओं का निर्माण एवं रामलीला, कृष्ण लीला, दुर्गा पूजा, शोभा यात्रा, प्राचीन देवालयों का जीर्णोद्धार तथा विशाल भण्डारे का आयोजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना।
5. पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने हेतु वृक्षारोपण व वृक्षों का संरक्षण करना।
6. विकलांग, मूँक-बधिर, नेत्रहीन एवं गरीब वालक-वालिकाओं हेतु निःशुल्क विद्यालय का संचालन तथा आवास, भोजन, कपड़ा, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
7. दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन एवं छुआछूत उन्मूलन पर कार्यक्रम तैयार करना व संचालन करना।
8. ज्ञान-विज्ञान, वायुयान, जलयान (नेवी) तथा थल पर संचालित सभी यानों/वाहनों के यांत्रिक, भौतिकी, शारीरिक, मानसिक, शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।
9. समरत लघु उद्योगों, फैकिट्रियों की स्थापना एवं संचालन करना एवं निःशुल्क प्रशिक्षण कालोनियों एवं आवासों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों को नियुक्त कर सुरक्षा पद्धति की नवीन तकनीक की भी जानकारी देना।
10. निर्धन, असहाय तथा मेधावी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग, पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
11. गरीब बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढाई-बुनाई, हरतकला, चित्रकला, कम्प्यूटर, टाइप, शार्टहैण्ड, हेयर एण्ड स्किन केयर, फैशन एवं ड्रेस डिजाइनिंग, नृत्य तथा गायन वादन, खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
12. जनसंख्या नियंत्रण व नशा उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन करना।
13. बंजर भूमि ऊसर क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना तथा डूडा, सूडा, नाबार्ड इत्यादि द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन करना।
14. ग्रामीण गरीब युवक, युवतियों, अल्पसंख्यकों, दलितों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें स्वरोजगार देने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षित करना।

—
—



15. ग्रामीण वेरोजगार युवक, युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु ईंट भट्ठा, टाइल्स भट्ठा, सीमेन्ट, ईंट, लौह उद्योग, दाल-मिल, चावल-मिल, फर्नीचर उद्योग, डेयरी उद्योग, कुक्कुट, मछली पालन, कालीन, दरी उद्योग, मधुमक्खी पालन, उन्नतशील बीज, छपाई उद्योग, प्रिंटिंग वर्क, कापी उद्योग, संस्थाओं को प्रकाश व्यवस्था आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
16. क्षेत्रवासियों में राष्ट्रीयता अखण्डता की भावना जागृत करके राष्ट्रीय चेतना की स्थापना करना।
17. राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ के अस्पतालों का निर्माण करना, सुयोग्य चिकित्सकों के सहयोग से गंभीर प्राणलेवा बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना एवं एड्स के सम्बन्ध में जानकारी पैदा करके एड्स को रोकने के सम्बन्ध में गोष्ठियां आयोजित करना व साहित्य वितरण करना।
18. समय—समय पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना व संचालन करना।
19. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।
20. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, बच्चों को पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस—बी, के टीकाकरण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
21. उम्र दराज निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना।
22. पर्यटन, देशाटन व भ्रमण कराकर बच्चों में ज्ञानवर्धक जानकारी पैदा करना।
23. समाज में फैली कुरीतियों जैसे— तलाक, दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग, लिंग परीक्षण आदि जघन्य अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना।
24. ग्रामीण एवं दलितों को सरकार के माध्यम से तकनीकी एवं इलेक्ट्रानिक्स आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण एवं संचालन करना।
25. लघु एवं कुटीर उद्योगों एवं खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु कुशल कारीगर द्वारा प्रशिक्षण, स्वच्छ जल एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य कराना एवं संचालन करना।
26. गरीब बच्चों के लिए अनावासीय, आवासीय, विद्यालय का निःशुल्क संचालन करना।



27. असहाय एवं अनाथ महिलाओं के लिए नारी निकेतन, विधवा एवं विधुर वृद्धाश्रम का निःशुल्क संचालन करना।
28. कोमिकल उद्योग, शीतगृह इत्यादि की स्थापित करना तथा कौशल विकास से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना।
29. रोजगारपरक तकनीकी शिक्षण संस्थानों का संचालन, जन शिक्षण संरथान तथा कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन करना।
30. आयकर विभाग के अन्तर्गत धारा-11 के नियम 12एए आयकर अधिनियम 1961 एवं 80जी का क्रियान्वयन एवं संचालन करना।
31. कोमिकल उद्योगों की स्थापना एवं प्रशिक्षण हेतु डी.एल.एड., वी.एल.एड., वी.टी.सी., वी.एड., एन.टी.टी. की स्थापना एवं संचालन करना। रोजगारपरक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान कर समाज का शैक्षिक उन्नयन करना।
32. गोशाला का निर्माण एवं संचालन करना। रख्य सहायता समूह का गठन करना तथा उससे सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना।
33. भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क पंचायती राज, रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय, सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कपार्ट सूडा, डूडा, यूनीसेफ, सेफ इण्डिया, आक्सफार्ड ट्रस्ट इत्यादि केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। केन्द्र/राज्य सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सेतु का कार्य करना इसके लिए केन्द्र/राज्यानुदान—अनुदान प्राप्त करना।

(14) ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति—

यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के सचिव भी कहे जायेंगे।



(15) प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद-

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति में उत्तरदायी पद ट्रस्टी सचिव होंगे। मुख्य ट्रस्टी/सचिव अरूण कुमार दूबे पुत्र स्व० हरखमनि दूबे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

(16) ट्रस्ट की सदस्यता: ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार से होगी।

1. संस्थापक ट्रस्टी— इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी अरूण कुमार दूबे हैं जिन्हे किसी भी प्रकार के रिक्त नवीन ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार है एवं ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। ट्रस्टी सचिव अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवनकाल में कार्यकारी ट्रस्टी/उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते हैं।
2. मुख्य ट्रस्टी— अरूण कुमार दूबे मुख्य ट्रस्टी होंगे।
3. सहयोगी ट्रस्टी— जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक हजार रुपया सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह पांच वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी होगा।
4. ट्रस्टी की सदस्यता समाप्ति— पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय में मोरल अपरिट्यूट के अन्तर्गत सजा पाने या त्याग—पत्र देने पर, वार्षिक सदस्यता शुल्क न देने पर या ट्रस्ट के विरुद्ध हानिकारक कार्य करने पर सदस्यता रचतः समाप्त हो जायेगी।

(17) प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं सुलभ संचालन हेतु मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा चल—अचल सम्पत्ति को खरीदना, बेचना—रेहन रखना, ऋण लेना, ऋण देना, ऋण की अदायगी सुनिश्चित करना, अनुदान लेना आदि।
3. किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के जनकल्याण कार्यक्रम के संचालन हेतु मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निररत करना।

८८



4. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व उपसमितियों का मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।
 5. ट्रस्ट के व ट्रस्ट द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं के पृथक—पृथक खातों को समयानुसार मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा चालू करने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक में खाते खुलवाना और उन्हें बन्द करना या परिवर्तित करना।
 6. ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए वाद विवाद में पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा अधिकृत करना तथा किसी जांच पड़ताल के लिए टर्मिनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना।
 7. वार्षिक आय—व्यय का लेखा स्वीकृत करना तथा आगामी बजट तैयार करना।
 8. ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय को मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा अन्तिम निर्णय देना।
 9. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम और उपनियम मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।
 10. प्रबन्धकारिणी समिति सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय मुख्य ट्रस्टी/सचिव की सहमति से लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे तथा जो ट्रस्ट के हित में होगा।
- (18) ट्रस्ट की संयुक्त समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:

आवश्यकतानुसार मुख्य ट्रस्टी को किसी भी प्रकरण पर तुरन्त निर्णय लेने का अधिकार होगा तथात् ट्रस्ट की संयुक्त समिति की बैठक आहूत किया जायेगा और उसमें लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति उत्तरदायी होगी और उन्हें क्रियान्वित करेगी। संयुक्त समिति एवं प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये निर्णयों का जब तक मुख्य ट्रस्टी/सचिव अनुमोदन नहीं करेगा तब तक वह कार्यरूप में परिणित नहीं होगा।

—



(19) संस्थापक ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्यः

किसी भी ट्रस्टी की व्यक्ति की पूर्ति संस्थापक ट्रस्टियों के ही परिवार के वंशानुगत क्रम में वैध मानी जायेगी।

(20) विवादित स्थिति पर निर्णयः

ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के विवाद की रिति आने पर किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित होने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों के दस्तावेज के मुताबिक समर्त अधिकार प्राप्त होंगे और वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेंगे और ट्रस्ट की समर्त चल-अचल सम्पत्ति के नियंत्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(21) ट्रस्ट के रिकार्ड या अभिलेखः

एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाउचर फाईल, सदस्यता फाईल, रसीद बही, पासबुक, चेकबुक, निरीक्षण रजिस्टर, उपरिथित रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

(22) अनुशासनात्मक कार्यवाहीः

ट्रस्ट के किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से संतोष नहीं होता तो वह संयुक्त समिति में इस प्रस्ताव के लिए आवेदन कर सकता है उस परिस्थिति में प्रभावित व्यक्ति को एक माह के अन्दर अपना प्रत्यावेदन मुख्य ट्रस्टी के नाम प्रस्तुत करना पड़ेगा और मुख्य ट्रस्टी की जिम्मेदारी होगी कि तीन माह के अन्दर संयुक्त समिति की बैठक आहूत करके प्रत्यावेदन पर विचार करें संयुक्त समिति की अध्यक्षता उसके सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेगा और संयुक्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय मुख्य ट्रस्टी की सहमति की दशा में अन्तिम होगा।

(23) वाद तथा प्रतिवादः

समर्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र जनपद-जौनपुर उ०प्र० रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरों पर या दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे, व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वादों प्रतिवादों की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

—
—



(24) परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता:

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम/मोहल्ला रुतर से लेकर अखिल भारतीय रुतर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त, जिले, तहसील, नगर, ब्लाक व ग्रामों में चलायी जायेगी।

(25) ट्रस्ट कोष का खेल रखावः

ट्रस्ट के खाते का संचालन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर, संचालन मुख्य ट्रस्टी/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के सम्मुख हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(26) पदों का सृजनः

ट्रस्ट आवश्यकतानुसार मुख्य ट्रस्टी/सचिव की सहमति से विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद पर स्थापित कर सकता है। सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हे कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

(27) ट्रस्ट (न्यास) की सम्पत्तियां:

ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/सचिव अरुण कुमार दूबे का होगा तथा मरणोपरान्त समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के मालिक उनके वशानुगत क्रम के वंशज होंगे जिसका संचालन सहमति से किया जायेगा। ट्रस्ट के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

पंडित हरखमनि दूबे मेमोरियल चैरिटेबुल ट्रस्ट (Pt. H.D.M.C.H. Trust) की स्थापना हेतु 10,000/- (दस हजार रुपया) नगद जिसे खाता खोलकर ट्रस्ट के खाते में जमा किया जायेगा। अतः यह ट्रस्टनुमा विलेख आज दिनांक 07-12-2021 को मेरे द्वारा अभिकथित लिखित एवं उद्घोषित किया जा रहा है।

मसविदाकर्ता अरुण ५८०८ पताप सिंह (रुपेश) 09792/21
तहसील मडियाहू, जनपद जौनपुर।

टंकणकर्ता—Akash Sharma
उमरपुर, J.N.P.
7-12-2021

A.Singh
07-12-2021

हस्ताक्षर न्यासकर्ता

अरुण कुमार दूबे
पुत्र रवि हरखमनि दूबे
पता— ग्राम—राजापुर नं०-२ पो० मडियाहू
तहसील—मडियाहू, जिला जौनपुर
उत्तर प्रदेश।



गवाह प्रथम— ओमशंकर श्रीवास्तव पुत्र चन्द्रमा प्रसाद
49, जवाहर नवोदय विद्यालय कटघरा, बुजुर्ग
तहसील—मड़ियाहूँ जिला—जौनपुर, (उ०प्र०)
आधार नं० : 3634 1238 1429
मो०नं० 9307885648



गवाह द्वितीय— सुधाकर दूबे पुत्र शालिकराम दूबे
ग्राम व पोस्ट— मैनपुर, तहसील—मड़ियाहूँ
जिला—जौनपुर—222161 (उ०प्र०)
आधार नं० : 7246 2548 8842
मो०नं० 9838109800



द्रस्ट का नाम : पंडित हरखमनि दूबे मेमोरियल चैरिटेबुल द्रस्ट

(Pt.H.D.M.CH.Trust)

पता : ग्राम—राजापुर (मुंशी मेंहदी), पोस्ट—मड़ियाहूँ

तहसील—मड़ियाहूँ

जिला—जौनपुर (उ०प्र०)

हस्ताक्षर न्यासकर्ता

३१



अरुण कुमार दूबे

पुत्र स्व० हरखमनि दूबे

पता—ग्राम राजापुर नं०-२ पोस्ट—मड़ियाहूँ

तहसील—मड़ियाहूँ

जिला—जौनपुर (उ०प्र०)

आवेदन सं०: 202100985008310

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 41 के पृष्ठ 187 से 212 तक क्रमांक
103 पर दिनांक 07/12/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


अजय कुमार

उप निबंधक : मडियाहूं

जौनपुर
07/12/2021

